न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 4/2025

सीताराम माली पुत्र बजरंग लाल माली निवासी प्लाट नं0 15 प्रेम नगर कल्याण नगर मौरानी मोटर्स के पीछे सीताबाडी के सामने टोंक रोड जयपुर राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक (जिला कलेक्टर (भू.अ.) टोंक)

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 04.03.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक (जिला कलेक्टर (भू.अ.) टोंक) को आवेदन पत्र दिनांक 06.12.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

श्रीमान मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार चैयरमैन राजस्व मंडल अजमेर, जिला कलेक्टर भू अभिलेख टोंक जिला टोंक को आर.टी.आई. में सूचना नहीं दिए जाने के शिकायत दिनांक 20.10.2024 पर कानूनी कार्रवाई 16 व 17 सी.सी.ए. में कानूनी कार्यवाही की सूचना निम्नलिखित दी जावे -

1. उपरोक्त प्रकरण में शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 20-10-2024 पर 16 व 17 सी. सी. में राजस्व नक्शा जैसा भी हो एकीकरण के समय का नक्शा ट्रेस सहित सूचना नहीं दिए जाने के कारण कानूनी कार्यवाही की सूचना दी जावे।
2. उपरोक्त प्रकरण में शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2024 पर राजस्व मंडल अजमेर की ओर से जिला कलेक्टर भू अभिलेख टोंक जिला टोंक का पत्र क्रमांक राम/ भू. अ./ ई-3/प-6(32)/2021/68089-90 ही दिनांक 6.11.2024 एवं पत्र क्रमांक राम/ भू. अ./ ई-3/प-6(32)/2021/68420-21 दिनांक 22.11.2024 पर 16 व 17 सी.सी.ए. में विभागीय प्राथमिक जांच रिपोर्ट एवं संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही राजस्व कार्मिक तहसील मालपुरा जिला टोंक के विरुद्ध सूचना दी जावे।
3. डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक का खसरा नंबर 3565 गैर मुमकिन पाल का संपूर्ण नक्शा ट्रेस की नकल।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छाया प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक (जिला कलेक्टर (भू.अ.) टोंक) व लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा

न्यायालय जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर
टोंक

को पत्र कमांक 64–65 दिनांक 22.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक (जिला कलेक्टर (भू.अ.) टोंक) ने पत्र कमांक 1020 दिनांक 05.02.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 156 दिनांक 09.01.2025 से सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को पत्र कमांक 155 दिनांक 5.02.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा ने पत्र कमांक 446 दिनांक 12.02.2025 से जवाब में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या RIC/TONK/A/2024/014345 में राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दिनांक 20.01.2025 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी के सूचना आवेदन प्रदत्त सूचना एवं अपीलार्थी की प्रतिकिया के आलोक में अपीलार्थी की प्रतिकिया/ आपत्ति सारहीन होने से प्रार्थी की हस्तगत अपील का निस्तारण कर दिया गया है। चूंकी प्रकरण राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर द्वारा निस्तारित कर दिये जाने से प्रकरण में इस कार्यालय स्तर से किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नही है का उल्लेख किया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक (जिला कलेक्टर (भू.अ.) टोंक) व लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
टोंक